

CONNECTING THE DOTS #5: 14-02-2018

विषय: महिलाओं के विरुद्ध पक्षपात

➤ कुछ तथ्य(आंकड़े)

• सामाजिक

A. जनगणना 2011 – मनमाने तीन तलाक के कारण मुस्लिम महिलाओं में तलाक की दर सभी धार्मिक समूहों में सबसे अधिक है।

B. लगभग ३०% महिलाएँ 18 वर्ष की उम्र के पहले ही विवाहित हो जाती हैं।

• आर्थिक

A. महिला कार्यबल सहभागिता दर मात्र 29% है वहीं पुरुषों में यह दर ८०% है। भारत में महिलाओं के लिए यह दर विश्व में निम्नतम में से है।

B. संपत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र ४% ही है।

• सुरक्षा (NCRB आंकड़े)

A. महिलाओं के विरुद्ध अपराध : महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में घरेलू हिंसा (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) का योगदान सबसे अधिक है।

B. बलात्कार: लगभग १% पीड़ितों की उम्र ६ साल से कम है।

• राजनीतिक

A. 16वीं लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र १२.१५% है।

B. “सरपंच पति” संस्कृति

➤ महिलाओं की स्थिति

A. जनगणना २०११ के अनुसार शिशु लैंगिक अनुपात(0-६ वर्ष) में २००१ की तुलना में गिरावट दर्ज की गयी है(२००१ में १००० पुरुषों पर ९२७ महिलाओं से २०११ में १००० पुरुषों पर ९१९ महिलाओं तक)।

CONNECTING THE DOTS #5: 14-02-2018

B. महिलाओं का दयनीय स्वास्थ्य

- लौह तत्व की कमी से होने वाला एनीमिया भारत के ३ वर्ष से कम उम्र के बच्चों में (७८.९ प्रतिशत में) और महिलाओं में (५५ प्रतिशत में) व्यापक रूप से पाया गया।
- लांसेट पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार भारत की महिलाओं में स्तन कैंसर की सबसे अधिक सम्भावना है।
- भारत में मातृ मृत्यु दर अभी भी बहुत अधिक है। हर घंटे 5 महिलाएँ प्रसव सम्बन्धी जटिलताओं के कारण काल के गाल में समा जाती हैं।

C. शिक्षा की खराब स्थिति

- २०११ की जनगणना के अनुसार जहाँ पुरुषों में साक्षरता दर ८२.14% है वहीं महिलाओं में यह ६५% ही है।
- उच्च शिक्षा के लिए GER (Gross enrollment ratio)/सकल नामांकन अनुपात का अंतर (पुरुषों और महिलाओं में) अभी भी बहुत अधिक है।
- **ASER** के अनुसार प्राथमिक विद्यालय स्तर पर नामांकन अनुपात में अंतर काफी कम हुआ है लेकिन लड़कियों के पढाई छोड़ने की दर काफी अधिक है।

D. रोजगार की स्थिति

- अधिकतर महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में कार्य करती हैं।
- महिलाओं को समान कार्य हेतु पुरुषों से कम मजदूरी मिलती है।
- कृषि का स्त्रीकरण

➤ महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव

A. कानूनी

- व्यक्तिगत कानून महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव करते हैं। उदाहरण : तीन तलाक
- राजकीय कानून | जैसे महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु 18 साल है जो कि पुरुषों से कम है।
- वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार नहीं माना जाता।

B. लैंगिक हिंसा

CONNECTING THE DOTS #5: 14-02-2018

- पैदा होने से पहले ही कन्या भ्रूण हत्या
- बढ़ती आयु में शिक्षा और स्वास्थ्य की अनदेखी |
- बलात्कार, छेड़खानी, तेज़ाब से हमले आदि |
- दहेज़ उत्पीड़न |
- घरेलू हिंसा(NCRB के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में सबसे ऊपर)

C. लैंगिक रुढ़िबद्धता

- मीडिया द्वारा स्त्रियों के शरीर का बाजारीकरण |
- अदृश्य काँच की छत | उदाहरण : कंपनी अधिनियम में कम से कम एक स्वतंत्र महिला डायरेक्टर की अनिवार्य व्यवस्था दी गयी है लेकिन कॉर्पोरेट इसका पालन नहीं कर रहे हैं | एक मिथ्या विश्वास है कि भावुक होने के कारण महिलाएँ अच्छी प्रबंधक नहीं हो सकती |

D. धर्म

- धार्मिक ग्रंथों की गलत व्याख्या हमेशा पुरुषों के पक्ष में होती है | उदाहरण: महिलाओं को माता-पिता को मुखाग्नि देने का अधिकार न होना | यह महिलाओं की हीन दशा को पोषित करता है |
- कई जगहों पर महिलाओं को पवित्र स्थलों पर जाने की अनुमति नहीं है | उदाहरण: सबरीमाला मंदिर |

➤ सरकार द्वारा उठाये गए कदम

A. आर्थिक

- महिला कार्यबल सहभागिता दर बढ़ाने के लिए मातृत्व लाभ संशोधन कानून द्वारा मातृत्व अवकाश को १२ हफ्तों से बढ़ाकर २६ हफ्ते किया गया है |
- लैंगिक बजट: विभिन्न कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन के समय महिलाओं के मुद्दों को प्राथमिकता |

CONNECTING THE DOTS #5: 14-02-2018

- महिलाओं के आर्थिक विकास हेतु कदम | जैसे: स्वसहायता समूहों को प्रोत्साहन(आजीविका), STEP (महिलाओं के कौशल विकास हेतु), MUDRA (महिलाओं को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने हेतु) , Stand up India (महिलाओं में उद्यमशीलता विकसित करने हेतु).
- विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण

B. राजनीतिक/विधिक

- पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में आरक्षण
- आपराधिक कानून(संशोधन) अधिनियम, २०१३(न्यायमूर्ति वर्मा समिति)
- महिलाओं की स्थिति पर पैम राजपूत समिति

C. सामाजिक

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ ; selfie with daughter आदि से लोगों के लड़कियों के प्रति रवैया बदलेगा |
- सुकन्या समृद्धि योजना से लोगों को कन्या के लिए बचत करने को प्रोत्साहन मिलेगा |

➤ भविष्य पथ

1. महिलाओं के बीच उनके अधिकारों को लेकर जागरूकता लाना | अगर वे अपने मुद्दे खुद उठाएंगी तो उसका असर अधिक गहरा होगा | उदाहरण: महिलाओं द्वारा सिंगनापुर शनि मंदिर और हाजी अली दरगाह में भेदभाव के खिलाफ सफल आन्दोलन |
2. समाज को अपने अन्दर से आने वाला बदलाव अधिक ग्राह्य होता है | अतः सामाजिक व्यक्तियों और धार्मिक ग्रंथों के द्वारा लैंगिक समता का विचार आगे बढ़ाना चाहिए |
3. महिलाओं की आर्थिक सम्पन्नता: आर्थिक सम्पन्नता से सामाजिक संबल मिलता है और आर्थिक निर्भरता कम होती है |

CONNECTING THE DOTS #5: 14-02-2018

4. महिला आरक्षण बिल, जो कि संसद के निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में ३३% सीटों के महिलाओं हेतु आरक्षण का उद्देश्य रखता है, को पारित करना चाहिए।

5. राज्य के हर स्तर पर, विशेषकर पुलिस के निचले स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को, लैंगिक संवेदनशीलता का प्रशिक्षण देना चाहिए।

➤ निष्कर्ष

हालांकि हमने विभिन्न कदमों जैसे कि स्वसहायता समूह, शिक्षा, प्रगतिशील कानूनों आदि के माध्यम से महिलाओं की स्थिति सुधारने में कुछ सफलता प्राप्त की है, फिर भी महिलाओं की समानता और न्याय हेतु बहुत कुछ किया जाना शेष है।

सामाजिक बदलाव एक धीमी प्रक्रिया है। अगर समाज तैयार न हो तो सुधारों को सरकार या न्यायालयों द्वारा थोपा नहीं जा सकता। यह कार्य धैर्यपूर्ण प्रोत्साहन, प्रबुद्ध नेतृत्व और व्यक्तिगत उदाहरण से ही हो सकता है।

➤ विचारणीय

क्या पित्रसत्तावाद एक सार्वभौम स्थिति है? किस हद तक यह महिलाओं की हीन स्थिति के लिए जिम्मेदार है?